(153)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 138-एक/2008 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 21-4-2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 90/2004-05 निगरानी

रमापति प्रसाद पांडे पुत्र ठाकुरप्रसाद
ग्राम शिवपुर तहसील त्योंथर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामचन्द्र भुजवा 2- प्रेमचन्द्र भुजवा
3- गौरीशॅकर 4- सोमदत्त
सभी पुत्रगण श्रीनाथ भुजवा
3- मुस. वेवा पत्नि स्व. श्रीनाथ भुजवा
सभी ग्राम शिवपुरी तहसील त्योंथर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक २९-०१-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 90/2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-4-2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष व्दारा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी थी कि वाद विचारित भूमि शासन व्दारा हरियाली प्रोजेक्ट के लिये आरक्षित रखी है इसलिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को पक्षकार बनाया जाय। इसी प्रकार मृतक श्रीनाथ भुजवा की विधिक वारिस पुत्री कमला को भी पक्षकार बनाया जाय, किन्तु आवेदक ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों के समर्थन में अथवा पुष्टिकरण में कोई लेखी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया एंव आवेदक की मांग दस्तावेजी सवूतों एंव सिद्धीकरण के अभाव में अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 24-1-08 से निरस्त की है।

3/ आवेदक के अभिभाषक को एंव अनावेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी थी कि वाद विचारित भूमि शासन व्दारा हरियाली प्रोजेक्ट के लिये आरक्षित रखी है इसलिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को पक्षकार बनाया जाय। इसी प्रकार मृतक श्रीनाथ भुजवा की विधिक वारिस पुत्री कमला को भी पक्षकार बनाया जाय, किन्तु आवेदक ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों के समर्थन में अथवा पुष्टिकरण में कोई लेखी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया एंव आवेदक की मांग दस्तावेजी सवूतों एंव सिद्धीकरण के अभाव में अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 24-1-08 से निरस्त की है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक मूल मामले का निराकरण नहीं होने देना चाहता है एंव उसके व्दारा आदेश दिनांक 24-1-08 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में व्यर्थ आधारों

पर निगरानी प्रस्तुत करके 09 वर्ष की अवधि व्यतीत करवाई है जिसके कारण अन्य पक्षकार न्याय से बंचित होना प्रतीत हुये है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है । विचाराधीन मामला 9 वर्ष से व्यर्थ लम्बित रहा है। अतः अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को निर्देश दिये जाते हैं कि वह हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर मामले का निराकरण गुणागुण के आधार पर 60 दिवस के भीतर करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर